दलित युवक से 20 हजार रुपये की ठगी का मामला पहुंचा धरहरा थाना

मुंगेर (आससे)। मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के सुं गठिया गांव में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रोहित प्रसाद के साथ छापेमारी में गए इटवा गांव निवासी मनीष कुमार के द्वारा एक दलित युवक से 20 हजार रुपए की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है । इस मामले में पीड़ित युवक धरहरा थाना क्षेत्र के सुं गठिया गांव निवासी नूनेश्वर पासवान के पुत्र राजदूत कुमार ने



धरहरा थानाध्यक्ष सोनू कुमार को दिए आवेदन में कहा है कि बकाया बिल के कारण उनके घर में पहुंचे कनीय अभियंता रोहित प्रसाद के साथ इटवा गांव निवासी स्वर्गीय अजय मंडल के पुत्र मनीष कुमार ने मुझसे यह कहकर 20 हजार रुपए ठग लिया कि धरहरा थाना में आपके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गया तो एफ आई आर दर्ज नहीं कराने के नाम पर मुझसे ठगने वाले मनीष कुमार से जब मैंने अपने 20 हजार रुपए वापस करने की मांग की तो उसने रुपए देने से इनकार करते हुए मुझे जाति सूचक शब्द दुसाध बोलते हुए गाली गलौज किया और कहा कि जानता नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़ित युवक ने धरहरा थाने में आवेदन देखकर अपने रुपए की वापसी कराने की मांग और उचित कार्रवाई के साथ-साथ अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है ।वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष सोनू कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

चाकूबाजी में दो युवक जख्मी दो आरोपी गिरफ्तार

हवेली खड़गपुर (आससे)। नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य बाजार में मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना में दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी आस्था में दोनों युवक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत दो व्यक्ति को दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार नगर के पश्चिम अजीमगंज निवासी पीयूष कुमार और मोहन यादव मुख्य बाजार में भारी भीड़ के बीच दो पक्षों के बीच मामूली धक्का-मुक्की और टकराने को लेकर बहस देखते ही देखते विवाद का बड़ा रूप ले लिया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस अचानक हुई घटना से मुख्य बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट और चाकूबाजी की इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर चाकू से हमला करने वाले मुख्य आरोपी चमनगढ़ निवासी कुंदन कुमार को धर दबोचा। वहीं इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी नाबालिग को नियमानुसार हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

लापता युवक का गड्ढे में मिला शव

हवेली खड़गपुर (आससे)। सोमवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड के शामपुर थाना क्षेत्र के गोबड्डा पंचायत के गोबड्डा गांव में पानी से भरे गड्ढे से 19 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार गोबड्डा गांव निवासी सुमन कुमार बिंद का पुत्र चंद्रशेखर कुमार रविवार की रात करीब नौ बजे घर में किसी को बिना बताए निकल गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन रातभर उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार की दोपहर एनएच 333 स्थित हवेली खड़गपुर-बरियारपुर मुख्य मार्ग के समीप



झाड़ियों से घिरे पानी भरे गड्ढे में शव पर उस रास्ते से गुजर रहे ग्रामीण व किसानों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना परिजनों को दिया। जिसके बाद शव की पहचान परिजनों ने की। चंद्रशेखर का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की सूचना पर शामपुर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि चंद्रशेखर को बचपन से मिर्गी के दौरा आता था। पिछले एक महीने में भी उसे कई बार दौरे पड़े थे और उसका इलाज भी चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि शौच के लिए जाने के दौरान दौरा पड़ने से वह गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि, मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।

सामवेद ग्रंथ की हिंदी और उर्दू में अनुवादकर्ता डा.इकवाल दुर्रानी का बांका आगमन

बांका (आससे)। आज से तीन दशक पहले फिल्म के लिए मैंने प्यारा सा बांका को छोड़ा था और फिल्मी दुनियां मैं जब चरम पर था तो सामवेद की हिंदी और उर्दू में अनुवाद के लिए मैंने फिल्म को साढ़े छह साल तोड़ दिया उक्त बांते प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक,लेखक बिहार के गौरव और बांका के लाल डा.इकबाल दुर्रानी ने कल रात बांका में बिहार प्रदेश भाजपा



वाणिज्य प्रकोष्ठ के सही संयोजक ओमप्रकाश गुप्ता के आवास पर प्रेस वार्ता में कहा। उन्होंने कहा की फिल्म लेखन और निर्देशन में 52 फिल्म का मेरा रिकॉर्ड है, सेकेंड में सलीम-जावेद हैं, यहाँ दोनों भाइयों ने मिलकर 40 फिल्मों का लेखन और निर्देशन किया है। डा.इकवाल ने बताया कि अभी मैं फिल्म को छोड़ कर पुरा सनातनी हूँ, अभी मैं पूर्ण रूप से अपने छह वर्ष की मेहनत और लगन से हिंदी और उर्दू किए अनुवाद सामवेद पर टिका दिया हूँ, जिसका विमोचन आगामी 5 नवंबर 2026 को राजभवन पटना में माननीय राज्यपाल के करकमलों द्वारा संपन्न होना है ।हालांकि उन्होंने बताया की वैसे

सामवेद पुस्तक की डिजिटल किताब का विमोचन जुलाई 2026 में आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा संपन्न हो चुका है। माननीय राज्यपाल जी के द्वारा संपन्न होने के पश्चात ये किताबें बाजारों में शीघ्र ही उपलब्ध होने लगेगा। इस मौके पर प्रमुख व्यवसाय रघुनाथ राजगड़िया,रोहित कुमार गुप्ता, भागवत शिक्षक, स्थानीय वार्ड पार्षद सुनिता गुप्ता, प्रमोद राउत,राहुल गुप्ता सहित कई गणमान्य हस्ती मौजूद थे।

जमुई में नौनिहालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित बचपन अभियान का शुभारंभ

पाठशालाओं में 26-31 तक दी जायेगी पॉस्को और बाल अधिकारों की जानकारी

जमुई (आससे)। सीबीएसई मान्यता प्राप्त नामधारी शिक्षण संस्थान ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में नौनिहालों को यौन अपराधों से संरक्षण , उनके अधिकार और नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रति उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय सुरक्षित बचपन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नामित मुहिम प्रथम चरण में जिले के 200 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी और निजी विद्यालयों में 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुशील कुमार ने अग्नि ज्योति प्रज्वलित कर किया वहीं विदुषी शिक्षिका प्रेमलता ने कार्यक्रम का मंच संचालन कर खूब वाहवाही लूटी। स्टेट एंकर सह जिला संवाददाता डॉ. निरंजन कुमार ने सलीके से धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व निभाया। इस अवसर पर 500 से ज्यादा बेटियां मौजूद थीं।

प्रधान न्यायाधीश सुशील कुमार ने विचारों को साझा करते हुए कहा कि हर बच्चों का आनंदमयी बचपन कानून और समाज की जिम्मेवारी है। नौनिहालों की सुरक्षा , अधिकारों का संरक्षण और असुरक्षित परिस्थितियों में उचित सहायता प्रदान करना कानून और समाज का मुख्य ध्येय है। नौनिहालों को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) , बाल अधिकार और नि:शुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी



महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बेटियों का ज्ञानवर्धन के साथ उनका क्षमतावर्धन किया। बाल अधिकार की विस्तार से चर्चा करते हुए अनुचित व्यवहार अथवा असुरक्षित परिस्थिति की पहचान करने का तरीका समझाया और इससे निपटने के उपाय सुझाए। नौनिहालों को बिना भय के अपनी बात रखने का मंत्र देते हुए कहा कि जरुरत के मुताबिक संबन्धित ओहदेदार और कानूनी सहायता तंत्र से मदद लिया जा सकता है। सुरक्षित बचपन अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अधिकारों के प्रति सजग बनाने के साथ उन्हें शोषण और यौन अपराधों से बचाव की जानकारी देना है। साथ ही विद्यालय और समाज में बाल सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना भी इस पहल का खास हिस्सा है। इस अभियान से बच्चों को सजग , सचेत , जागरूक और आत्मविश्वासी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अभियान का बेहतर तरीके से आगाज करने के लिए आयोजक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की जमकर तारीफ की और इसके प्रबंधन को साधुवाद दिया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मंजूश्री कुमारी ने कहा कि 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर हर बच्चों को सुरक्षित , सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण तथा उसके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु माहौल तैयार किया जाना है। उन्होंने बाल अधिकार , बाल विवाह , बाल शोषण , सुरक्षित व्यवहार , साइबर सुरक्षा , बैड टच और गुड टच के साथ जरूरत पड़ने पर सहायता की विस्तार से जानकारी दी और नौनिहालों का ज्ञानवर्धन किया। मंजू श्री कुमारी ने संवाद , प्रश्नोत्तरी और जागरूकता सत्र आयोजित कर बच्चों को अपनी समस्याएं नि:संकोच साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी मुकेश रंजन ने विषय प्रवेश कराते हुए सुरक्षित बचपन अभियान के महत्त्व पर प्रकाश डाला। साथ ही विषम परिस्थितियों में तुरंत सहायता हेतु हेल्पलाइन 15100 , चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर क्राइम 1930 पर डायल करने का संदेश दिया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉ.मनोज कुमार सिन्हा ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमारा संकल्प-बच्चों का सुरक्षित कल है। उन्होंने इस आदर्श पंक्ति को आत्मसात किए जाने का ऐलान किया। सचिव कुसुम सिन्हा , प्राचार्य ऋतुराज सिन्हा , प्राचार्या शिवांगी शरण आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर सुरक्षित बचपन अभियान के महत्त्व को साझा किया। शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ 500 से ज्यादा बेटियां इस मुहिम की साक्ष्य बनीं। जागरुकता कार्यक्रम के अंत में प्रधान न्यायाधीश सुशील कुमार , जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मंजू श्री कुमारी आदि पदस्थों ने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का परिभ्रमण कर वहां के नन्हे-मुन्ने से आत्मीयता का भाव साझा किया। निदेशक डॉ.मनोज कुमार सिन्हा , प्राचार्य ऋतुराज सिन्हा के साथ प्राचार्या शिवांगी शरण ने अतिथियों को यहां के शैक्षणिक माहौल के साथ व्यवस्थाओं की यथोचित जानकारी दी।

विक्रमशिला सेतु बंद होने पर छोटी नावों के परिचालन की मांग हेतु डीएम केजनता दरबार में पहुंचे नाविक

भागलपुर (आससे)। विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद बियाडा घाट से बड़ी जहाजों के जरिए यात्रियों का आवागमन कराया जा रहा है। इस बीच स्थानीय नाविकों ने भी छोटी नावों के परिचालन की अनुमति देने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर नाविक जिलाधिकारी के जनता दरबार पहुंचे और गुहार लगाई। नाविकों का कहना है कि उनके पास भी छोटी नावें हैं जिन्हें चलाने की अनुमति जिला प्रशासन दे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से



निर्धारित सभी नियमों का पालन करने के लिए वे तैयार हैं। पहले भी उनकी नावों से यात्रियों को मुफ्त में गंगा पार कराया जाता था जिसके बदले जिला प्रशासन की ओर से उन्हें भुगतान किया जाता था। नाविकों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर नाव खरीदी थी इस उम्मीद में कि सेतु बंद होने के बाद उन्हें भी परिचालन का अवसर मिलेगा। उनका कहना है कि पहले गंगा में पानी अधिक होने की वजह से अनुमति नहीं मिल रही थी लेकिन अब जलस्तर कम हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन उन्हें भी नाव चलाने की अनुमति दे ताकि उनकी रोजी-रोटी चल सके।

एक शराबी गिरफ्तार

हवेली खड़गपुर (आससे)। हवेली खड़गपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि प्रसंडो निवासी संजीव कुमार चौधरी नशे में धुत होकर अपनी शिकायत लेकर थाना आया था। उसकी गतिविधि को देख लगा कि वह नशे मे है। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मुंगेर भेज दिया गया।

जमुई में सुरक्षित बचपन अभियान को लेकर अशोका पब्लिक स्कूल की विशेष पहल

बच्चों को पॉस्को एक्ट , बाल अधिकार और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर

जमुई (आससे)। बच्चों की सुरक्षा , सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से अशोका पब्लिक स्कूल जमुई द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता पहल की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों , यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को), सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार , साइबर सुरक्षा तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रति जागरूक बनाना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान के अंतर्गत 26 से 31 अक्टूबर तक बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान का संदेश है सुरक्षित बचपन-सशक्त भविष्य। जागरूकता पहल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने , अपने अधिकारों को समझने तथा किसी भी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के महत्व से अवगत कराने पर जोर दिया गया। गुड टच एवं बैड टच , बाल विवाह , बाल शोषण , साइबर अपराध और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में जमुई के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप कुमार रॉय की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों , व्यक्तिगत सुरक्षा , कानून के प्रति जागरूकता तथा किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज



उठाने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी असुरक्षित परिस्थिति में बिना भय या संकोच के विश्वसनीय व्यक्तियों एवं संबंधित पदाधिकारियों से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन ने सुरक्षित बचपन और बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया।

विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को परिवार , विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सुरक्षित एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण के महत्व पर जोर दिया। वहीं प्राचार्य डॉ.राजीव रंजन ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना नहीं , बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक , आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की सुरक्षा , भावनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत गरिमा के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया।सीनियर अकादमिक कोऑर्डिनेटर आराधना त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना विद्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच विश्वासपूर्ण संवाद स्थापित करने तथा बच्चों को अपनी समस्याएँ खुलकर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। एचआर प्रतिनिधि दिव्या परमार ने सुरक्षित एवं सहयोगात्मक वातावरण के निर्माण में सभी कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वहीं एडमिनिस्ट्रेटर हेमंत भार्गव ने विद्यालय परिसर में सुरक्षा , अनुशासन और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 नि:शुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन , 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन , 1930 साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत करने का संदेश दिया। बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं , बल्कि परिवार , विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमित जागरूकता कार्यक्रमों , संवाद सत्रों और सकारात्मक व्यवहार के माध्यम से बच्चों को आत्मविश्वासी तथा परिस्थितियों के प्रति सजग बनाया जा सकता है। अशोका पब्लिक स्कूल जमुई बच्चों की सुरक्षा , सम्मान , अधिकारों और सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। हमारा संकल्प—हर बच्चे का सुरक्षित बचपन और उज्ज्वल भविष्य है। शिक्षा ज़ सुरक्षा ज़ संस्कार ज़ सशक्तीकरण हमारा मुख्य ध्येय है। इस अवसर पर शिक्षक-शिक्षिका के साथ सैकड़ों नौनिहाल उपस्थित थे।

हाईवा- ई-रिक्शा की टक्कर में चालक की मौत, 6 यात्री घायल

कहलगांव/भागलपुर(आससे)। रसलपुर थाना के ठीक सामने सोमवार की सुबह रफ्तार का ऐसा खूनी खेल देखने को मिला। एक ही परिवार की खुशियां उजड़ गई। यात्रियों को लेकर जा रहे ई-रिक्शा और एनटीपीसी की फ्लाई ऐश से लदे हाईवा के बीच आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा चालक अमित ठाकुर (21) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई,जबकि 6 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और ग्रामीणों व डायल 112 पुलिस की मदद से घायलों को कहलगांव अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। मृतक अमित ठाकुर सनोखर थाना क्षेत्र के सिलहन गांव निवासी लुटेशर ठाकुर का पुत्र था बताया जाता है कि वह बिहार बॉर्डर की ओर से यात्रियों को लेकर एकचारी रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान रसलपुर थाना के सामने तीखे मोड़ पर फ्लाई ऐश से लदा हाईवा (नंबर बी आर10जी बी 2120) सामने आ गया। आरोप है कि हाईवा चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गलत दिशा में आकर ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा पर सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तत्काल मदद के लिए आगे आए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अमित ठाकुर को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है सड़क पर खड़ी जब्त गाड़ियां भी सवालों के घेरे में है। हादसे के बाद



स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क किनारे खड़ी जब्त गाड़ियों पर फूट पड़ा ग्रामीणों का आरोप है कि रसलपुर थाना के सामने सड़क पहले से ही संकरी है। ऐसे में जब्त वाहनों को सड़क किनारे खड़ा रखने से आवागमन के लिए जगह और कम हो जाती है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। स्थानीय राहगीर निगम भगत ने सवाल उठाया कि जब सड़क पर पहले से जगह की कमी है, तो जब्त गाड़ियों को किनारे खड़ा कर आम लोगों की परेशानी क्यों बढ़ाई जा रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन वाहनों को किसी दूसरी जगह रखने की मांग की। वहीं, स्थानीय निवासी रूबी देवी ने बताया कि हादसा उनके घर के सामने ही हुआ। उनका आरोप है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से आवागमन प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग कई बार थानाध्यक्ष से गाड़ियां हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ घायलों में बसंत राय के कई लोग,दो की हालत गंभीर हादसे में घायल लोगों को ग्रामीणों और डायल 112 की पुलिस की मदद से कहलगांव अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने घायलों का इलाज शुरू किया। गंभीर रूप से घायल बृजेश तांती और प्रिंस कुमार की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल,भागलपुर रेफर किया गया। घायलों की पहचान बृजेश तांती,राजेश मंडल, भुवनेश्वर पासवान,आयुष कुमार,रोजी देवी और प्रिंस कुमार के रूप में बताई गई है। सभी के बसंत राय का रहने है रसलपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है,जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हाईवा चालक घटनास्थल से फरार हो गया है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,भागलपुर भेजा गया है।

झगड़ा छुड़ाने गये व्यक्ति के साथ मारपीट

हवेली खड़गपुर (आससे)। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के नया चौखट गांव में बच्चों के बीच हो रहे झगड़ा को छुड़ाने गए एक व्यक्ति के साथ तीन व्यक्ति ने लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वही इस मामले को लेकर नया चौखट गांव निवासी भोला कोड़ा के पुत्र रोहन कोड़ा ने हवेली खड़गपुर थाना में आवेदन देकर तीन व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। अपने आवेदन में रोहन कोड़ा ने बताया है कि गांव में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। जिसमें मेरा बेटा भी शामिल था। इस दौरान किसी बात को लेकर बच्चों के बीच मारपीट होने लगी। बच्चों के बीच मारपीट होते देख मैं पहुंचा तथा बच्चों के बीच हो रहे झगड़ा को छुड़ाने लगा। इसी बीच गंगा कोड़ा, राको कोड़ा तथा जागो कोड़ा लाठी डंडा से मारपीट कर मुझे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि रोहन कोड़ा के आवेदन के आधार पर तीन व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जागो कोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

वीर सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की जाये

हवेली खड़गपुर (आससे)। सोमवार को प्रखंड के कौड़िया पंचायत के केंदुआ गांव में वीर सिंह न्याय संघर्ष समिति का बैठक की गई। केंदुआ गांव में 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। जिसके संयोजक संजय सिंह बनाए गए। बैठक का संचालन वीर सिंह न्याय संघर्ष समिति के प्रखंड कमेटी सदस्य नीरज कुमार तथा नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया की 1 नवंबर को किशनपुर शिवालय में बड़ी बैठक किया जाएगा। बैठक में शामिल ग्रामीण वीर सिंह के हत्यारे को फांसी दो, वीर सिंह के हत्यारे को दृष्टांत मूलक सजा दो, वीर सिंह के हत्यारे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, पुलिस प्रशासन जवाब दो, वीर सिंह न्याय संघर्ष समिति जिंदाबाद, वीर सिंह हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच करो आदि नारे लगा रहे थे। बैठक में कमेटी के संरक्षक रमन सिंह ने कहा कि वीर सिंह को ढूंढने में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही, जब पता चल गया कि वीर की हत्या हो गई है। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा जो करवाई किया जाना चाहिए उस कार्रवाई में काफी शिथिलता देखी गई है। उन्होंने कहा कि मुंगेर जिला से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। अगर जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या में सीएम सम्राट चौधरी के घर पर जाकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। क्योंकि मुंगेर पुलिस के द्वारा जो जांच हो रहा है उससे परिवार और कमेटी के कोई लोग संतुष्ट नहीं है। आज तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ सका और कई अपराधी अभी तक फरार चल रहे हैं। जो निर्दोष होंगे उसे कमेटी कभी काम नहीं करेगी लेकिन जो दोषी है उसे दृष्टांत मूलक सज़ा मिलना चाहिए।

जांच पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति

अब सड़क मरम्मत व अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित

भागलपुर(आससे)। जिले में सड़क संपर्कता,यातायात की सुगमता, आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सरकारी निधि से निर्मित एवं अनुरक्षित पथों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी,भागलपुर द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पथों की भौतिक स्थिति की जांच हेतु जांच पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत पथ प्रमंडल,भागलपुर एवं संबंधित उप प्रमंडलों के अंतर्गत विभिन्न सड़कों की स्थलीय जांच की जाएगी। इसमें भागलपुर,नवगछिया, कहलगांव एवं सुल्तानगंज क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है।

जांच के दौरान सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत,सड़क के किनारों की



स्थिति,क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, सतह पर धंसाव एवं रटिंग, दरारों की सीलिंग,शोल्डर की स्थिति, सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई,पुल-पुलिया की मरम्मत एवं सफाई,संकेतक बोर्ड,क्रैश बैरियर,सड़क चिह्नांकन तथा सड़क पर जलजमाव जैसी स्थितियों की जांच की जाएगी। प्रतिनियुक्त जांच पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 27 अक्टूबर 2026 तक आवंटित पथों की स्थलीय जांच कर जांच प्रतिवेदन जिला विकास शाखा, भागलपुर में उपलब्ध कराएं। जांच के दौरान संबंधित सड़कों की तस्वीरें भी जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएंगी। जिला विकास शाखा को प्राप्त सभी जांच प्रतिवेदनों को समेकित कर दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल एवं पथ निर्माण विभाग को जांच पदाधिकारियों को आवश्यक तकनीकी एवं अभिलेखीय जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर पाई गई कमियों के निराकरण हेतु समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना है।

जब्त शराब के बिनिस्टीकरण में विभाग का लोग करें सहयोग

भागलपुर(आससे)। बिहार सरकार की शराबबंदी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से जब्त शराब के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। डीएम अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक स्थित मद्य निषेध उत्पाद थाना परिसर में जब्त देशी एवं विदेशी शराब को नष्ट किया गया जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग के कुल 100 कांडों में जब्त 8,845 लीटर देशी एवं विदेशी शराब के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं, सदर अनुमंडल के विभिन्न थानों से संबंधित 52 कांडों में जब्त कुल 1,306 लीटर देशी एवं विदेशी शराब को भी नष्ट किया गया। विनिष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान मौके पर दंडाधिकारी राजीव कुमार,संबंधित पुलिस थानों के पदाधिकारी तथा उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार उपस्थित रहे शराब को जेसीबी के माध्यम से नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को बिहार सरकार की शराबबंदी नीति के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जब्त शराब को नष्ट करने का उद्देश्य अवैध शराब के भंडार को समाप्त करना और शराब के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार ने शराब कारोबारियों से अपील की कि वे अवैध शराब के कारोबार से दूर रहें और कानून का पालन करें। शराब का अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। ऐसे कारोबार में शामिल होने से न केवल कानूनी परेशानी उत्पन्न होती है,बल्कि समाज और परिवार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।